कार्यालय--अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

भारत 2023 INDIA

पत्रांकः 1895/FP/UK/ROAD/16778/2015 दिनॉकःदेहरादूनः 8 फरवरी, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय– जनपद बागेश्वर में देवीनगर (धामपुर)–तुसरेरा (ठांगा) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.4905 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– भारत सरकार का पत्रांक सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/13/2018/ एफ0सी0/2199 दिनांक 18.02.2019।

महोदय,

भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार के द्वारा विषयांकित प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है, जिसकी अनुपालन आख्या उप वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा के पत्र संख्या–2075/12–1 दिनांक 27.01.2023 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर, के पत्र –2543/12–1–2, दिनांक–12.01.2023 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की गयी हैः–

क0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 8. 981है0 ग्राम–दुलम सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्त्रण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त संख्या 1 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 8.981 है0 ग्राम दुलम, सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 25,02,690.00 (पच्चीस लाख दो हजार छः सौ नब्बे) धनराशि का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR SBIN219323049666 DTD 19.11.2019 द्वारा किया जा चुका है। साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 8.981 है0 ग्राम दुलम का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 87/छब्बीस–09 वन/2018–19 दिनांक 11.06.2019 द्वारा तहसीलदार कपकोट के पत्रॉक–346/ र0का0 /व0भू0/2019 दिनांक 26.04.2019 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है।(संन्दर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न है।) –1
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार को 4.4905 है0 वन क्षेत्र का एन0पी0वी0 की धनराशि UTR SBIN 219323049666 DTD 19.11.2019 द्वारा रू0 29,50,259.00 (उन्नीस लाख पचास हजार दो सौ उनसठ रू0 मात्र) ऑनलाईन जमा कर दिया गया है। (चालान की प्रति संलग्न)। –2
3	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वता प्रस्तुत की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वचन बद्वता प्रमाण पत्र संलग्न है। –3
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन	प्रस्तावक विभाग द्वारा एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से

	तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	धनराशि UTR SBIN219323049666 DTD 19.11.2019 द्वारा रू0 54,52,949.00 जमा की जा चुकी है (चालान की प्रति संलग्न)।
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ संभव हो सड़क के दोनों किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में strip plantation की जायगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	शर्त सं0 5 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण प्रमाण पत्र संलग्न है। –A–
6	State Govt. will submit Original hard copy of Part-I & Part-II duly C.S. by DFO.	Original hard copy of Part-I & Part-II duly C.S. by DFO is submitted already in your kind establishment.

अतः प्रश्नगत प्रकरण में उप वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा के पत्र संख्या–2075/12–1 दिनांक 27.01.2023 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(एस0एस0रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण,उत्तराखण्ड,देहरादून।

संख्या : 1895 / **FP/UK/ROAD/16778/2015** तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्र संख्या–2075/12–1–2 दिनांक 27.01.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर.।
3. अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर।

08/02/23

(एस0एस0रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण,उत्तराखण्ड,देहरादून।

o/c